न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 248/2014

वादी :-

1-बंशीलाल पुत्र छोगाराम
जाति-सरगरा, उम्र-75 साल
निवासी-चावण्डियाकला
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
राजस्थान, हाल मुकाम-सोजत रोड़
तहसील-सोजतसिटी, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1- उगमाराम पुत्र छगाराम
2- नरपत पुत्र छगाराम
3- राजू पुत्र छगाराम
4- उषा पुत्री छगाराम
5- शंकर पुत्र छगाराम
जातियान-सरगरा
निवासीगण-चावण्ड़ियाकलां
तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
6- तहसीलपदार जैतारण
जिला-पाली, राजस्थान,
7- सरपंच, ग्राम पंचायत चावण्ड़ियाकला
तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त. अधिनियम 1955

तारीख रजू:. 09-12-2014

उपस्थितः 1. श्री हरिओम पारीक, अधिवक्ता वादी।
2. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 09/07/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-चावण्ड़ियाकलां, पटवार क्षैत्र चावण्ड़ियाकला, भू-अभिलेख निरिक्षक-आगेवा तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 450 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम आई हुई हैं। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 तक का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी का सजरा वंशावली खानदान अनुसार मूल पुरूष छोगा के तीन पुत्रान बंशीलाल, छगाराम (फौत) तथा शंकर हुए। छागाराम के पुत्रान उगमराज नरपत राजू पुत्रान व उषा पुत्री हुए। नामान्तरणकरण संख्या 243 दिनांक 11/09/97 वादी के पिता छोगा के फौत होने पर उनके पुत्र भंवरिया, छगीया व शंकर के नाम से भरा गया। किन्तु भंवरिया नाम की कोई सन्तान छोगाराम की नही थी। छोगाराम के उक्त वर्णित बंशीलाल, छगाराम व शंकर थे। उस स्थान पर तत्कालीन पटवारी ने गलत नामन्तकरण संख्या 243 से दिनांक 19.09.1977 को भंवरिया, छगाराम व शंकर के नाम भर दिया, जो काबिल मन्सुख के हैं, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिये वादी ने उक्त वाद पत्र घोषणा का माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वादी बंशीलाल पुत्र छोगाराम जाति सरगरा निवासी चावण्ड़ियाकला को ग्राम पंचायत चावण्ड़िया कला द्वारा एक प्रमाण पत्र दिनांक 03.08.2010 को दिया। उसमें वादी का नाम बंशीलाल पुत्र छोगाराम हैं, जाति सरगरा हैं। तहसीलदार एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट, सोजत जिला पाली द्वारा वादी का जाति प्रमाण पत्र बंशीलाल पुत्र छोगाराम निवासी-सोजत रोड़ जिला-पाली के नाम से जारी हो रखा है। वादी पिछले 50 वर्षो से सोजत रोड़ में ही निवास करता हैं। जबकि वादी का जन्म स्थान व मूल निवास ग्राम चावण्डियाकला ही हैं और वही पर वादी की पुश्तैनी खानदान की कृषि भूमि आई हुई है। तत्कालीन

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पटवारी ने अपने मन से ही म्यूटेशन संख्या 243 दिनांक 11/09/1977 भरा जो गलत है। वादी को इसकी जानकारी होने पर दिनांक 04/12/2014 को पटवारी हल्का चावण्डियाकला से नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई। वादी का राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता परिचय पत्र व आधार कार्ड व आय प्रमाण पत्र सोजत सिटी के सोसत रोड़ नाम के जारी हो रखे है। किन्तु सभी में वादी के नाम बंशीलाल पुत्र छोगाराम जाति रेबारी के नाम होने की पुष्टि होती है। वादी ने एक प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर महोदय, जैतारण को एल.आर. एक्ट की धारा 136 के तहत उक्त रुपये के नाम का संशोधन नामान्तकरण संख्या 243 दिनांक 11/09/1977 भरा गया। जिसके ऐवज में पेश किया। जो दौराने जांच पटवारी आगेवा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज द्वारा दिनांक 08/02/1913 को कार्यवाही की गई। किन्तु उक्त पत्रावली की प्रगति रिपोर्ट के बारे में आज तक कोई भी जानकारी वादी को नहीं है। और वादी अपने न्यायिक हित से महरूम हो गया। सरकार ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। नामान्तकरण संख्या 243 दिनांक 11/09/1977 वादी के पिता छोगाराम के फौत होने पर एवं वादी द्वारा अस्थाई रूप से सोजत रोड़ में निवास करने के कारण तत्कालीन पटवारी ने बंशीलान के स्थान पर भंवरिया का नाम गलत दर्ज कर दिया। जिससे कि सम्पूर्ण म्यूटेशन संख्या 243 दिनांक 11/09/1977 गलत भरा गया जो वादी के हितो एवं हक हकूको के खिलाफ है। वादी उक्त म्यूटेशन खारिज करवाकर भवरिया पुत्र छोगा के स्थान पर बंशीलाल पुत्र छोगा नाम दर्ज करवाना चाहता है एवं राजस्व रेकर्ड में नाम व अमल दरामद करवाने हेतु यह घोषणा का दावा पेश किया हैं। दिनाय दावा दिनांक 04/12/2014 को पटवारी ग्राम चावण्डियाकलां से जमाबंदी नकल प्राप्त करने ग्राम चावण्डियाकलां में उत्पन्न हुआ जो अन्दर स्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में हैं। इस प्रकार वाद पत्र सच शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त विवादित भूमि का वादी के पिता फौत होने पर वादी की अनुपस्थिति में भरा गया गलत ना0सं0 243 दिनांक 11/09/1977 खारिज किये जाने एवं वादी का गलत रूप से नाम भंवरिया पुत्र छोगा के स्थान पर बंशीलाल पुत्र छोगाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने अर्थात् भंवरिया पुत्र छोगा के स्थान पर बंशीलाल पुत्र छोगाराम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए समनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 5 व 7 की ओर से श्री भाकरसिंह भाटी अधिवक्ता ने दिनांक 05/01/2015 को ईकबालिया जबाबदावा पेश कर वाद पत्र के समस्त पदो के तथ्यों को सही व सत्य होना स्वीकार किया, सामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के संलग्न सरपंच, ग्राम पंचायत चावण्डियाकलां द्वारा जारी प्रमाण-पत्र दिनांक 05/01/2015 सरपंच ग्राम पंचायत सोजतरोड़ द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र संख्या 692 दिनांक 17/09/04, प्रमाण-पत्र दिनांक 29/11/2010, पासबुक एसबीबीजे शाखा-जैतारण खाता संख्या 51039728640, डी.एल.नं. RJ-19/DLC/2001/17891 दिनांक 16/11/2001, RJ21/161/28719 दिनांक 12/03/2007, राशन कार्ड संख्या 2504 दिनांक 08/12/2001, आधार कार्ड संख्या 667256101169, तहसीलदार, सोजत द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्रांक /विविध/4589 दिनांक 17/10/2011, जाति प्रमाण पत्र सं0 21147 दिनांक 12/10/2011, ना0सं0 243 दिनांक 11/09/77, जमाबन्दी सम्वत् 2070-73, 2033-36, पासबुक जारी सम्वत् 2058-61, भू0अ0निरीक्षक, निमाज की राजस्व रेकर्ड रिपोर्ट दिनांक 08/02/2013 सामिल मिसल की गई हैं।

मजमा-ए-आम राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - चावण्डियाकलां में राजस्व रिकॉर्ड की जांच रिपोर्टानुसार यथा मौके पर उपस्थित ग्रामीणों जनप्रतिनिधियों एवं सह खातेदारों को पूछने पर बताया कि ग्राम-चावण्डिया निवासी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

छोगाराम सरगरा के तीन ही पुत्र थे, जिसके नाम क्रमशः बंशीलाल छगाराम व शंकरलाल ही हैं। चूँकि स्वर्गीय छोगाराम के पुत्र बंशीलाल का नाम नामा0सं0 243 में भंवरिया दर्ज कर दिया गया। जबकि स्वर्गीय छोगाराम के भंवरिया नाम का कोई पुत्र नहीं था एवं स्वर्गीय छोगाराम के पुत्र छगाराम की मृत्यु हो चुकी हैं जिनके कायम मुकाम उगमराज नरपत राजू, उषा ही हैं। मौतबिरानों ने बताया कि ग्राम-चावण्डिया के खसरा नम्बर 450 रकबा 5-15 पर कब्जा काश्त भी बंशीलाल शंकरलाल पि0 छोगाराम उगमराज नरपत राजू, उषा का ही कब्जा काश्त होना बताया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड, पहचान-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं मौतबिरानों के ब्यानों से भी साबित हैं कि स्व0 छोगाराम के पुत्र भंवरिया नहीं बंशीलाल पुत्र छोगाराम ही हैं। अतः भंवरिया के स्थान पर बंशीलाल किया जाता है तो कोई आपति नहीं हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ-पत्र एवं उपरोक्त दस्तावेजात समस्त का गहनता से अध्ययन किया गया। छोगाराम के पुत्र भंवरिया नहीं होकर बंशीलाल हैं जो प्रस्तुत साक्ष्य के दस्तावेजात से ही बखूबी साबित हैं। लिहाजा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना तथा ना0सं0 243 दिनांक 11/09/1977 में वास्तविक रूप से छोगा के पुत्र बंशीलाल के स्थान पर गलत रूप से भंवरिया पुत्र छोगा त्रुटिवश दर्ज हो गया। लिहाजा ना0सं0 243 काबिल खारिज होने से खारिज किया जाना तथा वादी बंशीलाल पुत्र छोगा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा भंवरलाल के स्थान पर सही रूप से बंशीलाल पुत्र छोगाराम सरगरा सा0 चावण्डियाकलां दर्ज करवाया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-चावण्डियाकलां, पटवार क्षेत्र चावण्डियाकला, भू-अभिलेख निरिक्षक-आगेवा तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 450 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भंवरलाल पुत्र छोगा के नाम भरा गया ना0सं0 243 दिनांक 11/09/1977 (चूँकि छोगा के पुत्र का वास्तविक नाम बंशीलाल हैं न कि भंवरलाल) काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता हैं। वस्तुतः वास्तविक रूप से वादी का सही नाम बंशीलाल ही हैं। जिससे वादी को भंवरलाल पुत्र छोगा के स्थान पर वादी बंशीलाल पुत्र छोगाराम को उक्त भूमि में उनके हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया गया। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी (पाली) जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 09/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर -चावण्डियाकलां में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

नाम अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बइजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1- बंशीलाल पुत्र छोगाराम
जाति-सरगरा, उम्र-75 साल
निवासी-चावण्डियाकला
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
राजस्थान, हाल मुकाम-सोजत रोड़
तहसील-सोजतसिटी, जिला-पाली

1- उगमाराम पुत्र छगाराम
2- नरपत पुत्र छगाराम
3- राजू पुत्र छगाराम
4- उषा पुत्री छगाराम
5- शंकर पुत्र छगाराम
जातियान-सरगरा
निवासीगण-चावण्ड़ियाकलां
तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
6- तहसीलपदार जैतारण
जिला-पाली, राजस्थान,
7- सरपंच, ग्राम पंचायत चावण्ड़ियाकला
तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त. अधिनियम 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:248/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-......... व हाजरी श्री हरिओम पारीक, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-चावण्ड़ियाकलां, पटवार क्षैत्र चावण्ड़ियाकला, भू-अभिलेख निरिक्षक-आगेवा तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 450 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भंवरलाल पुत्र छोगा के नाम भरा गया ना0सं0 243 दिनांक 11/09/1977 (चूंकि छोगा के पुत्र का वास्तविक नाम बंशीलाल हैं न कि भंवरलाल) काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता हैं। वस्तुतः वास्तविक रूप से वादी का सही नाम बंशीलाल ही हैं। जिससे वादी को भंवरलाल पुत्र छोगा के स्थान पर वादी बंशीलाल पुत्र छोगाराम को उक्त भूमि में उनके हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 09/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner